रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-06042023-244944
CG-WB-E-06042023-244944

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945
No. 213] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

अधिसूचना

कोलकाता, 31 मार्च, 2023

परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव, 2023

बीसवीं परिषद का वर्तमान (चार वर्षीय) कार्यकाल दिनांक 21 जुलाई, 2023 को समाप्त होगा। दिनांक 22 जुलाई, 2023 को इक्कीसवीं परिषद और चार क्षेत्रीय परिषदों का 2023-2027 तक के कार्यकाल के लिए गठन करने के प्रयोजन के लिए इंस्टीट्यूट की परिषद हेतु और इसकी चार क्षेत्रीय परिषदों के लिए चुनाव निम्नलिखित अधिसूचनाओं के अनुसार होंगे :-

परिषद तथा क्षेत्रीय परिषदों के चुनावों की तारीखें और अन्य मामले

सं. ईएल-2023/1.—यथासंशोधित लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद के चुनाव), नियमावली, 2006 (नियमावली) के नियम 3 एवं 4 और अन्य लागू नियमों तथा यथासंशोधित लागत और संकर्म लेखापाल विनियम, 1959 (विनियम) के विनियम 114, 115, 118 एवं 121 और अन्य लागू विनियमों के साथ पठित, यथासंशोधित लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 9 की उप धारा (2) के खंड (क) के अनुसरण में, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के निर्वाचन अधिकारी एतदद्वारा वर्ष 2023 में परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव कराने के लिए निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं :-

1.	नियमावली के नियम 4 के प्रयोजन के लिए अधिसूचना जारी करने की तारीख	शुक्रवार, 31 मार्च, 2023

2.	नियमावली के नियम 9, 10, 11, 12, 14, 21, 28, 29, 30, 32 एवं 35 तथा लागत और संकर्म लेखापाल विनियम, 1959 के विनियम 114, 115, 118 एवं 121 और अन्य लागू नियमों एवं विनियमों के साथ पठित नियम 4 के अनुसरण में, परिषद ने चुनावों के आयोजन के लिए निम्नलिखित तारीखें नियत की हैं, अर्थात		
	क)	नामांकन प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख एवं समय [नियम 4 (2) (क) एवं 9]	शुक्रवार, 21 अप्रैल, 2023 को अपराह्न 6:00 बजे तक
	ख)	नामांकन की जांच करने की तारीख एवं स्थान [नियम 4 (2) (ख) एवं 12]	शनिवार 29 अप्रैल, 2023 और रविवार, 30 अप्रैल, 2023 को द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मुख्यालय, सीएमए भवन, 12, सदर स्ट्रीट, कोलकाता – 700016
	ग)	नामांकन वापस लेने के लिए अंतिम तारीख एवं समय [नियम 4 (2) (ग) और 14]	बुधवार, 10 मई, 2023 को अपराह्न 6:00 बजे तक
	घ)	पोलिंग की तारीख एवं समय [नियम 4 (2) (घ), 21 एवं 29]	शनिवार, 1 जुलाई, 2023 और रविवार, 2 जुलाई, 2023 को दिल्ली में (प्रात: 8:00 बजे से सायं 7:00 तक) शनिवार, 1 जुलाई, 2023 को सभी अन्य स्थानों पर (प्रात: 8:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक)
	ड.)	डाक द्वारा मत डालने के लिए अनुमति हेतु आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख एवं समय [नियम 4 (2) (ड.) और 28]	सोमवार, 1 मई को सायं 6:00 बजे तक
	च)	मतदाताओं से बैलेट पेपर डाक द्वारा वापस प्राप्त होने की अंतिम तारीख एवं समय [नियम 4 (2) (च)]	शनिवार, 1 जुलाई, 2023 को सायं 6:00 बजे तक
	छ)	मतों की गिनती शुरू होने की तारीख एवं समय [नियम 4 (2) (छ) और 32]	शुक्रवार, 7 जुलाई, 2023, शनिवार, 8 जुलाई, 2023, रविवार, 9 जुलाई, 2023, सोमवार, 10 जुलाई, 2023, मंगलवार, 11 जुलाई, 2023 (हर रोज प्रात: 9.30 बजे से)
	ज)	परिणाम घोषित करने की तारीख [नियम 4 (2) (ज) और 35]	बुधवार, 12 जुलाई, 2023
3.	परिषद द्वारा चुनाव के लिए निर्धारित शुल्क (नियम 10)		परिषद के लिए : 40,000 रूपए + जीएसटी @18% (अर्थात 47,200/- रूपए) (कुल सेतालीस हजार दो सौ रूपए मात्र) क्षेत्रीय परिषद के लिए : 35,000 रूपए + जीएसटी @18% (अर्थात 41,300/- रूपए) (कुल इक्तालीस हजार तीन सौ रूपए मात्र)
4.	उम्मीदवार द्वारा भुगतान की जाने वाली जमानत राशि [नियम 11]		20,000/- रूपए (बीस हजार रूपए मात्र) (वापसी योग्य, बशर्ते कि उसे मूल मतों का 2 प्रतिशत हासिल हो)
5.	नामांकन पत्रों की जांच के लिए पैनल के सदस्यों के नाम [नियम 12]		1. **श्री इंदर दीप सिहं धारीवाल** संयुक्त सचिव कार्पोरेट कार्य मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली- 110001 2. **श्री मनमोहन ज़नेजा** ए-134, दूसरा तल प्रीत विहार नई दिल्ली- 110092

		3. श्री कौशिक बनर्जी निर्वाचन अधिकारी द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सीएमए भवन, 12, सदर स्ट्रीट, कोलकाता – 700016

इन चुनावों के लिए अधिनियम, विनियमों एवं अन्य लागू कानूनों के संगत प्रावधान लागू होंगे।

कौशिक बनर्जी, निर्वाचन अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./739/2022-23]

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

Kolkata, the 31st March, 2023

Elections to the Council and the Regional Councils, 2023

The present (four-year) term of the Twentieth Council will come to an end on July 21, 2023. For the purpose of constituting Twenty-first Council on July 22, 2023 and four Regional Councils for the term 2023-2027, elections to the Council and to the four Regional Councils of the Institute will be held as per the following notifications:

Dates of elections to the Council and the Regional Councils and other matters

No. El-2023/1.—In pursuance of clause (a) of sub-section (2) of Section 9 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 as amended (the Act) read with Rules 3 & 4 and other applicable Rules of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 as amended (the Rules) and Regulations 114, 115, 118 & 121 and other applicable Regulations of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959 as amended (the Regulations), the Returning Officer of the Institute of Cost Accountants of India hereby notifies the following for the conduct of elections to the Council and the Regional Councils in the year 2023:

1.	Date of issue of Notification for the purpose of Rule 4 of the Rules		Friday, the 31st March, 2023
2.	In pursuance of Rule 4 read with Rules 9, 10, 11, 12, 14, 21, 28, 29, 30, 32 and 35 of the Rules and Regulations 114, 115, 118 & 121 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959 and other applicable Rules and Regulations, the Council has fixed the following dates for the conduct of elections, viz.		
	a)	the last date and time for receipt of nominations [Rule 4 (2) (a) and 9]	Friday, the 21st April, 2023 up to 6:00 P.M.
	b)	the dates and place of scrutiny of nominations [Rule 4 (2) (b) and 12]	Saturday, the 29th April, 2023 & Sunday 30th April, 2023 at the Headquarters of The Institute of Cost Accountants of India, CMA Bhawan, 12, Sudder Street, Kolkata – 700 016.
	c)	the last date and time for withdrawal of nominations [Rule 4 (2) (c) and 14]	Wednesday, the 10th May, 2023 up to 6:00 P.M.
	d)	the dates and time of polling [Rule 4 (2) (d), 21 and 29]	Saturday, the 1st July, 2023 & Sunday, the 2nd July, 2023 at Delhi (From 8:00 A.M. to 7:00 P.M.) Saturday, the 1st July, 2023 at all other places (From 8:00 A.M. to 7:00 P.M.)
	e)	the last date and time for receipt of applications for permission to vote by post [Rule 4 (2) (e) and 28]	Monday, the 1st May, 2023 up to 6.00 P.M.
	f)	The last date and time for receipt by post of ballot papers back from voters [Rule 4 (2) (f)]	Saturday, the 1st July, 2023 up to 6:00 P.M.
	g)	the date and time of commencement of counting of Votes [Rule 4 (2) (g) and 32]	Friday, the 7th July, 2023, Saturday, the 8th July, 2023, Sunday, the 9th July, 2023, Monday, the 10th July, 2023, Tuesday, the 11th July, 2023 (from 9.30 A.M. onwards each day)

	h)	The date of declaration of results [Rule 4 (2) (h) and 35]	Wednesday, the 12th July, 2023
3.	Fee for election fixed by the Council (Rule 10)		For Council: Rs. 40,000 + GST @18% (i.e. Rs.47,200/-) (Total Rupees Forty Seven Thousand Two Hundred only) For Regional Council: Rs. 35,000 + GST @18% (i.e. Rs. 41,300/-) (Total Rupees Forty One Thousand Three Hundred only)
4.	Security Deposit payable by the candidate [Rule 11]		Rs. 20,000/- (Rupees Twenty Thousand only) (Refundable subject to securing 2% of original votes)
5.	Names of the members of the panel for scrutiny of nomination papers [Rule 12]		**1. Shri Inder Deep Singh Dhariwal** Joint Secretary Ministry of Corporate Affairs Shastri Bhawan New Delhi-110001 **2. Shri Manmohan Juneja** A-134, Second Floor Preet Vihar New Delhi-110092. **3. Shri Kaushik Banerjee** Returning Officer The Institute of Cost Accountants of India CMA Bhawan, 12, Sudder Street Kolkata – 700016.

The relevant provisions of the Act, the Rules, the Regulations and other applicable laws shall apply to these elections.

KAUSHIK BANERJEE, Returning Officer

[ADVT.-III/4/Exty./739/2022-23]

अधिसूचना

कोलकाता, 31 मार्च, 2023

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद के चुनाव

सं. ईएल-2023/2.—लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद के चुनाव) नियमावली, 2006 के नियम 9 के उप नियम (1) के अनुसरण में, काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एतदद्वारा यह अधिसूचित करती है कि :-

(क) यथासंशोधित लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 9 की उप धारा (2) के खंड (क) के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से परिषद के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या — 15 (पन्द्रह)

(ख) अनुसूची– 1 के साथ पठित नियम 3 और अनुसूची– 3 के साथ पठित नियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या :

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	**चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या**
पश्चिमी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र	4 (चार)
दक्षिणी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र	5 (पांच)
पूर्वी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र	3 (तीन)
उत्तरी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र	3 (तीन)
कुल	**15 (पन्द्रह)**

परिषद (काउंसिल), इक्कीसवीं परिषद के लिए दिनांक 1 और 2 जुलाई, 2023 को होने वाले चुनावों में खड़े होने के इच्छुक उम्मीदवारों के नामांकन आमंत्रित करती है। उन्हें लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद के चुनाव) नियमावली, 2006 के नियम 9 में विनिर्दिष्ट तरीके से अपना नामांकन श्री कौशिक बनर्जी, निर्वाचन अधिकारी,

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को (नाम द्वारा) एक बंद लिफाफे में, उस पर ''परिषद चुनाव 2023 – 2027 के लिए नामांकन'' लिखकर द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मुख्यालय, सीएमए भवन, 12, सदर स्ट्रीट, कोलकाता – 700016 में देना होगा, ताकि यह शुक्रवार, 21 अप्रैल, 2023 को अपराह्न 6:00 बजे तक उनके पास पहुंच सके।

उम्मीदवार लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद के चुनाव) नियमावली, 2006 की जानकारी हासिल करने के लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट: www.icmai.in देख सकते हैं। नामांकन उक्त नियमावली के नियम 9 में यथानिर्दिष्ट और उप नियम (3) के अंतर्गत, इंस्टीट्यूट की परिषद द्वारा अनुमोदित प्रारूप में होना चाहिए। नामांकन फार्म को इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

नामांकन के साथ में नियम 10 में यथा प्रदत्त शुल्क के लिए सचिव, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पक्ष में कोलकाता में भुगतान योग्य 40,000 रूपए (चालीस हजार रूपए मात्र) + 18 प्रतिशत जीएसटी का डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए। उम्मीदवार नियम 9 के उप नियम (2) के तहत अधिकतम दस नामांकन प्रस्तुत कर सकते हैं।

चुनाव में खड़ा प्रत्येक उम्मीदवार, नियम 10 में यथा प्रदत्त शुल्क के अलावा, नियम 9 के तहत दाखिल किए गए नामांकनों की संख्या के बावजूद, नियम 11 में यथा प्रदत्त जमानत राशि के रूप में 20,000 रूपए (बीस हजार रूपए मात्र) की धनराशि, सचिव, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पक्ष में कोलकाता में भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान करेगा।

कौशिक बनर्जी, निर्वाचन अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./739/2022-23]

NOTIFICATION

Kolkata, the 31st March, 2023

Elections to the Council of the Institute of Cost Accountants of India

No. El-2023/2.— In pursuance of sub-rule (1) of Rule 9 of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, the Council of the Institute of Cost Accountants of India hereby notifies that:

(a) Total number of members to be elected to the Council from all regional constituencies under clause (a) of sub-section (2) of Section 9 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 as amended. 15 (Fifteen)

(b) Number of members to be elected for each regional constituency as specified in Rule 3 read with Schedule 1 and Rule 8 read with Schedule 3

Name of the Constituency	**Number of members to be elected**
Western India Regional Constituency	4 (Four)
Southern India Regional Constituency	5 (Five)
Eastern India Regional Constituency	3 (Three)
Northern India Regional Constituency	3 (Three)
Total	**15 (Fifteen)**

The Council invites nomination of candidates who desire to stand for elections to the Twenty-first Council scheduled to be held on 1st & 2nd July, 2023. They should deliver their nominations in the manner specified in Rule 9 of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 to Shri Kaushik Banerjee, Returning Officer, The Institute of Cost Accountants of India (By Name) in a closed envelope superscribing on it "Nomination for Council Election 2023 - 2027" at the Headquarters of The Institute of Cost Accountants of India, CMA Bhawan, 12, Sudder Street, Kolkata- 700 016 so as to reach him not later than 6:00 P.M. on Friday, the 21st April, 2023.

Candidates may visit the Institute's website: www.icmai.in for familiarizing themselves with the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006. The nomination shall be in the form approved by the Council of the Institute under sub-rule (3) and as specified in Rule 9 of the said Rules. Nomination forms can be downloaded from the website of the Institute.

Nominations shall be accompanied by a fee of Rs. 40,000 (Rupees forty thousand only) + 18% GST by Demand Draft, payable at Kolkata, drawn in favour of the Secretary, The Institute of Cost Accountants of India as provided in Rule 10. Candidates can submit maximum number of ten nominations as per sub-rule (2) of Rule 9.

Every candidate standing for election in addition to fee as provided in Rule 10, shall pay, irrespective of the number of nominations filed under Rule 9, an amount of Rs. 20,000 (Rupees twenty thousand only) by Demand Draft payable at Kolkata, drawn in favour of the Secretary, The Institute of Cost Accountants of India, as security deposit as provided in Rule 11.

KAUSHIK BANERJEE, Returning Officer

[ADVT.-III/4/Exty./739/2022-23]

अधिसूचना

कोलकाता, 31 मार्च, 2023

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव

सं. ईएल-2023/3.—यथासंशोधित लागत और संकर्म लेखापाल विनियम, 1959 के विनियम 114 के उप विनियम (2) और विनियम 118 के अनुसरण में, काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एतदद्वारा यह अधिसूचित करती है कि क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव नीचे विनिर्दिष्ट किए गए तरीके से कराए जाएंगे :-

क्षेत्रीय परिषद का नाम	**चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या**
पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद	7 (सात)
दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद	11 (ग्यारह)
पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद	7 (सात)
उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद	7 (सात)
कुल	**32 (बत्तीस)**

परिषद (काउंसिल), एक क्षेत्रीय परिषद के लिए दिनांक 1 और 2 जुलाई, 2023 को होने वाले चुनावों में खड़े होने के इच्छुक उम्मीदवारों के नामांकन आमंत्रित करती है। नामांकनों को श्री कौशिक बनर्जी, निर्वाचन अधिकारी, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को (नाम द्वारा) एक बंद लिफाफे में, उस पर "क्षेत्रीय परिषद चुनाव 2023 – 2027 के लिए नामांकन" लिखकर द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मुख्यालय, सीएमए भवन, 12, सदर स्ट्रीट, कोलकाता – 700016 में देना चाहिए, ताकि यह शुक्रवार, 21 अप्रैल, 2023 को अपराह्न 6:00 बजे तक उनके पास पहुंच सके। नामांकन फार्म को इंस्टीट्यूट की वेबसाइट www.icmai.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

उम्मीदवार लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद के चुनाव) नियमावली, 2006 की जानकारी हासिल करने के लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट: www.icmai.in देख सकते हैं। नामांकन लागत और संकर्म लेखापाल विनियम, 1959 के विनियम 118 के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 9 में यथानिर्दिष्ट और उप नियम (3) तहत इंस्टीट्यूट की परिषद द्वारा अनुमोदित फार्म में होना चाहिए। नामांकन फार्म इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

क्षेत्रीय परिषद के चुनावों के लिए उम्मीदवार को लागत और संकर्म लेखापाल विनियम, 1959 के विनियम 118 के साथ पठित लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद के चुनाव) नियमावली, 2006 के नियम 10 के तहत शुल्क के लिए सचिव, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पक्ष में कोलकाता में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 35,000 रूपए (पैंतीस हजार रूपए मात्र) + 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा।

क्षेत्रीय परिषद के चुनावों के लिए खड़ा प्रत्येक उम्मीदवार उपरोक्तानुसार यथा प्रदत्त शुल्क के अलावा, विनियम 118 के साथ पठित नियम 9 के अंतर्गत दाखिल किए गए नामांकनों की संख्या के बावजूद, लागत और संकर्म लेखापाल विनियम, 1959 के विनियम 118 के साथ पठित लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद के चुनाव) नियमावली, 2006 के नियम 11 के तहत जमानत राशि के रूप में सचिव, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पक्ष में कोलकाता में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा 20,000 रूपए (बीस हजार रूपए मात्र) का भुगतान करेगा।

कौशिक बनर्जी, निर्वाचन अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./739/2022-23]

NOTIFICATION

Kolkata, the 31st March, 2023

Elections to the Regional Councils of the Institute of Cost Accountants of India

No. EL-2023/3.—In pursuance of sub-regulation (2) of Regulation 114 and Regulation 118 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959 as amended, the Council of the Institute of Cost Accountants of India hereby notifies that the elections to the Regional Councils shall be held in the manner as specified hereunder:

Name of the Regional Council	**Number of members to be elected**
Western India Regional Council	7 (Seven)
Southern India Regional Council	11 (Eleven)
Eastern India Regional Council	7 (Seven)
Northern India Regional Council	7 (Seven)
Total	**32 (Thirty two)**

The Council invites nomination of candidates, who desire to stand for elections to a Regional Council to be held on 1st & 2nd July, 2023. The nominations shall be delivered to Shri Kaushik Banerjee, Returning Officer, The Institute of Cost Accountants of India (By Name), in a closed envelope superscribing on it "Nomination for Regional Council Election 2023-2027" at the Headquarters of The Institute of Cost Accountants of India, CMA Bhawan, 12, Sudder Street, Kolkata – 700 016 so as to reach him not later than 6:00 P.M. on Friday, the 21st April, 2023. Nomination forms can be downloaded from the Institute's website: www.icmai.in.

Candidates may visit the Institute's website: www.icmai.in for familiarizing themselves with the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006. The nomination shall be in the form approved by the Council of the Institute under sub-rule (3) and as specified in Rule 9 of the said Rules read with Regulation 118 of the Cost and Work Accountants Regulations, 1959. Nomination forms can be downloaded from the website of the Institute.

Candidates for elections to a Regional Council shall pay a fee of Rs. 35,000 (Rupees thirty five thousand only) + 18% GST by Demand Draft, payable at Kolkata, drawn in favour of the Secretary, The Institute of Cost Accountants of India by virtue of Rule 10 of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 read with Regulation 118 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959.

Every candidate standing for elections to a Regional Council in addition to fee as provided above, shall pay, irrespective of the number of nominations filed under Rule 9 read with Regulation 118, an amount of Rs. 20,000 (Rupees twenty thousand only) by Demand Draft, payable at Kolkata, drawn in favour of the Secretary, The Institute of Cost Accountants of India, as security deposit as per Rule 11 of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 read with Regulation 118 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959.

KAUSHIK BANERJEE, Returning Officer

[ADVT.-III/4/Exty./739/2022-23]

अधिसूचना

कोलकाता, 31 मार्च, 2023

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की क्षेत्रीय परिषदों का गठन

सं. ईएल-2023/4.—लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 23 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एतदद्वारा लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 9 की उप धारा (2) के खंड (क) के तहत दिनांक 20 नवंबर, 2003 के का.आ. 1331 (ई) के रूप में भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड 3 के उप खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित चार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए, लागत और संकर्म लेखापाल विनियम, 1959 के विनियम 114 के उप विनियम (i) के अनुसरण में, क्षेत्रीय परिषदों का इस प्रकार गठन करती है, अर्थात

क्र. सं.	**क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम**
1.	**पश्चिमी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र :** इसमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य और दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

2.	**दक्षिणी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र :** इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा तेलंगाना राज्य और लक्षद्वीप तथा पोंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।
3.	**पूर्वी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र :** इसमें अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।
4.	**उत्तरी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र :** इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश राज्य और चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू, कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

कौशिक बनर्जी, निर्वाचन अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./739/2022-23]

NOTIFICATION

Kolkata, the 31st March, 2023

Constitution of Regional Councils of the Institute of Cost Accountants of India

No. EL-2023/4.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost Accountants of India, hereby notifies the constitution of Regional Councils as under in pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 114 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959 for the four Regional constituencies notified by the Central Government vide Notification published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, sub-section (ii) of Section 3 as S.O. 1331 (E) dated 20th November, 2003 under clause (a) of sub-section (2) of Section 9 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, namely:

Sl. No.	Name of the Regional Constituency
1.	**Western India Regional Constituency:** Comprising the States of Chattisgarh, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra and the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;
2.	**Southern India Regional Constituency:** Comprising the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Telangana State and the Union Territories of Lakshadweep and Pondicherry;
3.	**Eastern India Regional Constituency:** Comprising the States of Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Jharkhand, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Sikkim, Tripura and West Bengal and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands;
4.	**Northern India Regional Constituency:** Comprising the States of Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttarakhand and Uttar Pradesh and the Union Territories of Chandigarh, Delhi, Jammu, Kashmir and Ladakh.

KAUSHIK BANERJEE, Returning Officer

[ADVT.-III/4/Exty./739/2022-23]

अधिसूचना

कोलकाता, 31 मार्च, 2023

परिषद (काउंसिल) के चुनावों और द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की चार क्षेत्रीय परिषदों के चुनावों के लिए शुल्क का भुगतान

सं. ईएल-2023/5.—लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के तहत यथाविनिर्दिष्ट लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद के चुनाव) नियमावली, 2006 के नियम 10 के उप नियम (1) के अनुसरण में, एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि परिषद (काउंसिल) के चुनावों के लिए उम्मीदवार को, नियम 9 के तहत शुल्क के रूप में, उसके द्वारा दाखिल किए जाने वाले नामांकनों की संख्या के बावजूद, 40,000 रूपए (चालीस हजार रूपए मात्र) + 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा। लागत और संकर्म लेखापाल विनियम, 1959 के विनियम 118 के साथ पठित लागत और संकर्म लेखपाल (परिषद के चुनाव) नियमावली, 2006 के नियम 10 के उप नियम (1) के तहत क्षेत्रीय परिषदों के चुनावों के लिए उम्मीदवार को, नियम 9 के तहत, शुल्क के रूप में, उसके द्वारा दाखिल किए जाने वाले नामांकनों की संख्या

के बावजूद, 35,000 रूपए (पैंतीस हजार रूपए मात्र) + 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान सचिव, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पक्ष में कोलकाता में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा किया जाएगा।

सृपष्टीकरण : कोई उम्मीदवार परिषद के चुनावों के लिए कितनी भी संख्या में, अधिकतम दस नामांकन दाखिल कर सकता है और नामांकनों की संख्या के बावजूद, उसे नामांकन के साथ 40,000 रूपए + 18 प्रतिशत जीएसटी की राशि का भुगतान करना है। कोई उम्मीदवार क्षेत्रीय परिषदों के चुनावों के लिए कितनी भी संख्या में, अधिकतम दस नामांकन दाखिल कर सकता है और नामांकनों की संख्या के बावजूद, उसे नामांकन के साथ 35,000 रूपए + 18 प्रतिशत जीएसटी की राशि का भुगतान करना है।

कौशिक बनर्जी, निर्वाचन अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./739/2022-23]

NOTIFICATION

Kolkata, the 31st March, 2023

Payment of fee for elections to the Council and elections to the four Regional Councils of the Institute of Cost Accountants of India

No. EL-2023/5.—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 10 of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 specified under the Cost and Works Accountants Act, 1959, it is hereby notified that a candidate shall pay a fee of Rs. 40,000 (Rupees forty thousand only) + 18% GST for elections to the Council, irrespective of the number of nominations that may be filed by him under Rule 9. By virtue of sub-rule (1) of Rule 10 of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 read with Regulation 118 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, a candidate shall pay a fee of Rs. 35,000 (Rupees thirty five thousand only) + 18% GST for elections to the Regional Councils, irrespective of the number of nominations that may be filed by him under Rule 9. The fee shall be paid by Demand Draft, drawn in favour of the Secretary, The Institute of Cost Accountants of India, payable at Kolkata.

Clarification: A candidate may file any number of nominations not exceeding ten for elections to the Council and irrespective of the number of nomination(s) he has to pay a sum of Rs. 40,000 + 18% GST along with the nomination. A candidate may file any number of nominations not exceeding ten for elections to the Regional Councils and irrespective of the number of nomination(s) he has to pay a sum of Rs. 35,000 + 18% GST along with the nomination.

KAUSHIK BANERJEE, Returning Officer

[ADVT.-III/4/Exty./739/2022-23]

अधिसूचना

कोलकाता, 31 मार्च, 2023

परिषद (काउंसिल) के चुनावों के लिए और द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की चार क्षेत्रीय परिषदों के चुनावों के लिए जमानत राशि का भुगतान

सं. ईएल-2023/6.—लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के तहत विनिर्दिष्ट लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद के चुनाव), नियमावली, 2006 के नियम 11 के अनुसरण में, यह अधिसूचित किया जाता है कि वर्ष 2023-2027 के कार्यकाल के लिए इंस्टीट्यूट की परिषद के चुनावों के संबंध में उम्मीदवार के चुनाव के लिए, उपरोक्त प्रदत्त शुल्क के अलावा, जमानत राशि के रूप में 20,000 रूपए (बीस हजार रूपए मात्र) की धनराशि का भुगतान करना होगा, चाहे दाखिल किए गए नामांकनों की संख्या कितनी भी हो, जो यदि वह संबंधित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में नियम 35 में यथाविनिर्दिष्ट, मूल मतों का न्यूनतम 2 प्रतिशत मत हासिल करने में विफल होता है, तो यह जमानत राशि जब्त हो जाएगी। नियम 11 और विनियम 118 के तहत उम्मीदवार को, 2023-2027 के कार्यकाल के लिए इंस्टीट्यूट की क्षेत्रीय परिषदों के चुनावों के लिए, उपरोक्त यथा प्रदत्त शुल्क के अलावा, दाखिल किए गए नामांकनों की संख्या के बावजूद, जमानत राशि के रूप में 20,000 रूपए (बीस हजार रूपए मात्र) की धनराशि का भुगतान करना होगा, जो यदि वह संबंधित निर्वाचित क्षेत्र में नियम, विनियम 118 के साथ पठित नियम 35 में यथाविनिर्दिष्ट मूल मतों का न्यूनतम 2

प्रतिशत मत हासिल करने में विफल होता है, तो यह जमानत राशि जब्त हो जाएगी। जमानत राशि का भुगतान सचिव, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पक्ष में, कोलकाता में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा किया जाएगा।

कौशिक बनर्जी, निर्वाचन अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./739/2022-23]

NOTIFICATION

Kolkata, the 31st March, 2023

Payment of Security Deposit for the elections to the Council and elections to the four Regional Councils of the Institute of Cost Accountants of India

No. EL-2023/6.—In pursuance of Rule 11 of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 specified under the Cost and Works Accountants Act, 1959, it is hereby notified that in respect of elections to the Council of the Institute for the term 2023-2027, a candidate for election, in addition to fee as provided above, shall pay irrespective of the number of nominations filed, an amount of Rs. 20,000 (Rupees twenty thousand only) as security deposit, which shall be forfeited if he fails to secure not less than 2% of the original votes as defined in Rule 35 in the concerned regional constituency. By virtue of Rule 11 and Regulation 118, a candidate for elections to the Regional Councils of the Institute for the term 2023-2027, in addition to fee as provided above shall pay, irrespective of the number of nominations filed, an amount of Rs. 20,000 (Rupees twenty thousand only) as security deposit, which shall be forfeited if he fails to secure not less than 2% of the original votes as defined in Rule 35 read with Regulation 118 in the concerned regional constituency. The security deposit shall be paid by Demand Draft, drawn in favour of the Secretary, The Institute of Cost Accountants of India, payable at Kolkata.

KAUSHIK BANERJEE, Returning Officer

[ADVT.-III/4/Exty./739/2022-23]

अधिसूचना

कोलकाता, 31 मार्च, 2023

अनुसूची 4 के साथ पठित नियम 9 के उप नियम (4) के प्रयोजन के लिए योग्यता की मान्यता की अधिसूचना

सं. ईएल-2023/7.—चुनावों के लिए नामांकनों के संबंध में लागत और संकर्म लेखापाल विनियम, 1959 के विनियम 118 और लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद के चुनाव) नियमावली, 2006 की अनुसूची 4 के साथ पठित नियम 9 के उप नियम (4) के अनुसरण में, परिषद (काउंसिल) ने यह संकल्प लिया है कि अनुसूची 4 के खंड (2) के उप खंड (क) के प्रयोजन के लिए, परिषद द्वारा निम्नलिखित योग्यता को मान्य किया गया है :-

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई सभी डिग्रियां।

(ii) द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की एसोसिएट/फेलो सदस्यता, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की एसोसिएट/फेलो सदस्यता, द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, यूके की एसोसिएट/फेलो सदस्यता, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के आईपीए की पेशेवर सदस्यता।

कौशिक बनर्जी, निर्वाचन अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./739/2022-23]

NOTIFICATION

Kolkata, the 31st March, 2023

Notification of Recognition of Qualifications for the purpose of Sub-rule (4) of Rule 9 read with Schedule 4

No. EL-2023/7.—In pursuance of sub-rule (4) of the Rule 9 read with Schedule 4 of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 and Regulation 118 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959 relating to nominations for elections, the Council has resolved that for the purpose of sub-clause (a) of clause (2) of Schedule 4, the following qualifications have been recognized by the Council:

i) All degrees awarded by the universities recognised by the University Grants Commission;

ii) Associate/Fellow Membership of The Institute of Chartered Accountants of India, Associate/Fellow Membership of The Institute of Company Secretaries of India, Associate/Fellow Membership of the Chartered Institute of Management Accountants, UK, Professional Membership of IPA of Institute of Cost Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India and Institute of Chartered Accountants of India.

KAUSHIK BANERJEE, Returning Officer

[ADVT.-III/4/Exty./739/2022-23]

अधिसूचना

कोलकाता, 31 मार्च, 2023

सं. ईएल-2023/8.—लागत और संकर्म लेखापाल विनियम, 1959 के विनियम 118 के साथ पठित लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद के चुनाव) नियमावली, 2006 के नियम 6 के उप नियम (1) के अनुसरण में, एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की इक्कीसवीं परिषद और चार क्षेत्रीय परिषदों के चुनावों के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से वोट देने के लिए पात्र सदस्यों की सूची (मतदाताओं की सूची) के लिए पात्र सदस्यों की सूची दिनांक 31 मार्च, 2023 से बिक्री के लिए उपलब्ध है।

नियम 6 के उप नियम (3) के अनुसरण में, मतदाता सूची द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मुख्यालय, सीएमए भवन, 12, सदर स्ट्रीट, कोलकाता–700016, इंस्टीट्यूट के दिल्ली कार्यालय, सीएमए भवन, 3, इंस्टीट्यूटशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003, संबंधित क्षेत्रीय परिषद कार्यालय, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली तथा द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के चैप्टर कार्यालयों से, परिषद द्वारा नीचे दी गई निर्धारित कीमत का भुगतान करने पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं:-

क्षेत्र	**मुद्रित पुस्तिका के अनुसार कीमत (रूपए)**	**कीमत प्रति सीडी (रूपए)**
पश्चिमी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र	600.00 + जीएसटी @18% = 708.00	400.00 + जीएसटी @18% = 472.00
दक्षिणी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र	600.00 + जीएसटी @18% = 708.00	400.00 + जीएसटी @18% = 472.00
पूर्वी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र	400.00 + जीएसटी @18% = 472.00	400.00 + जीएसटी @18% = 472.00
उत्तरी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र	400.00 + जीएसटी @18% = 472.00	400.00 + जीएसटी @18% = 472.00

कौशिक बनर्जी, निर्वाचन अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./739/2022-23]

NOTIFICATION

Kolkata, the 31st March, 2023

No. EL-2023/8.—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 6 of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 read with Regulation 118 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is here notified that the list of members eligible to vote (list of voters) from the various constituencies for elections to the Twenty-first Council and the four Regional Councils of the Institute of Cost Accountants of India is available for sale with effect from 31st March, 2023.

In pursuance of sub-rule (3) of Rule 6, the list of voters is available for sale on payment of price fixed by the Council as mentioned below from the Headquarters of the Institute of Cost Accountants of India, CMA Bhawan, 12, Sudder Street, Kolkata – 700 016, Delhi Office of the Institute at CMA Bhawan, 3, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi – 110 003, the respective Regional Council offices at Mumbai, Chennai, Kolkata & Delhi and the Chapter offices of the Institute of Cost Accountants of India:

Region	Price per printed book (Rs.)	Price per CD (Rs.)
Western India Regional Constituency	600.00 + GST @18% = 708.00	400.00 + GST @18% = 472.00
Southern India Regional Constituency	600.00 + GST @18% = 708.00	400.00 + GST @18% = 472.00
Eastern India Regional Constituency	400.00 + GST @18% = 472.00	400.00 + GST @18% = 472.00
Northern India Regional Constituency	400.00 + GST @18% = 472.00	400.00 + GST @18% = 472.00

KAUSHIK BANERJEE, Returning Officer

[ADVT.-III/4/Exty./739/2022-23]

अधिसूचना

कोलकाता, 31 मार्च, 2023

सं. ईएल-2023/9.—परिषद ने लागत और संकर्म लेखापाल विनियम, 1959 के विनियम 118 के साथ पठित लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद के चुनाव) नियमावली, 2006 के नियम 41 के उप नियम (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के चुनावों के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले व्यय की निम्नलिखित अधिकतम सीमा तय की है:-

चुनाव	व्यय (रूपए)
परिषद	10,00,000/-
क्षेत्रीय परिषद	7,50,000/-

विनियम 118 के साथ पठित नियम 41 के उप नियम, (2) के अनुसरण में, परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के चुनावों के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को नियम 36 के तहत अधिसूचना के जारी होने के पन्द्रह दिनों के भीतर परिषद द्वारा अनुमोदित प्रारूप में, चुनाव के लिए किए गए खर्च का ब्यौरा दाखिल करना होगा। परिषद द्वारा यथा अनुमोदित प्रारूप इंस्टीट्यूट के जर्नल में प्रिंट किए गए हैं और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट: www.icmai.in पर भी उपलब्ध है।

विनियम 118 के साथ पठित नियम 41 के उप नियम (3) के अनुसरण में, यदि किसी उम्मीदवार को इंस्टीट्यूट की परिषद के चुनाव के संबंध में उप नियम (1) या उप नियम (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की प्रथम अनुसूची के भाग – IV की मद (2) के तहत उसे परिषद का अपमान करना माना जाएगा।

कौशिक बनर्जी, निर्वाचन अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./739/2022-23]

NOTIFICATION

Kolkata, the 31st March, 2023

No. EL-2023/9.—The Council in exercise of the powers vested under sub-rule (1) of Rule 41 of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 read with Regulation 118 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959 has fixed the following ceiling of expenditure to be incurred by a candidate for elections to the Council and the Regional Councils:

Election	Expense (Rs.)
Council	10,00,000/-
Regional Councils	7,50,000/-

In pursuance of sub-rule (2) of Rule 41 read with Regulation 118, every candidate for elections to the Council and the Regional Councils shall file an account of expenses incurred for the election in the format approved by the Council within fifteen days of notification issued under Rule 36. Formats as approved by the Council are printed in the Journal of the Institute and also available on the Institute's website: www.icmai.in.

In pursuance of sub-rule (3) of Rule 41 read with Regulation 118, a member shall be deemed to have brought disrepute to the Council under item (2) of Part IV of the First Schedule of the Cost and Works Accountants Act, 1959 as amended if, in connection with an election to the Council of the Institute, he is found to have contravened the provisions of sub-rule (1) or sub-rule (2).

KAUSHIK BANERJEE, Returning Officer

[ADVT.-III/4/Exty./739/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA